



A10

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/59/2018 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:- 18.07.2018

श्री शान्तिलाल पिता स्व. चतुर्भुजदास बैरागी (वैष्णव) निवासी नरपत की खेड़ी, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़



प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005



निर्णय

दिनांक 13.08.2018

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 11.06.2018 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 59/2018/(10.08)/730 दिनांक 18.07.2018 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 10.08.2018 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 10.08.2018 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 59/2018 (सू.अ.)
श्री शान्तिलाल पिता स्व. चतुर्भुज दास बैरागी निवासी नरपत की खेटी बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति-
कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़


लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/632 दिनांक 10.08.2018 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैं:-

1. यह कि प्रार्थी श्री शान्तिलाल पिता स्व. चतुर्भुजदास बैरागी निवासी नरपत की खेडी, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 11.06.2018 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 12.06.2018 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना के समस्त तथ्य न्याय अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से प्रार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र इस कार्यालय द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/1868 दिनांक 19.06.2018 (प्रति संलग्न) से प्रभारी लिपिक, न्याय अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ को भिजवाया गया है।

यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र के संबंध में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। अतः प्रस्तुत प्रथम अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं

अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/632 दिनांक 10.08.2018 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्व विभाग के लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को नियुक्त किया हुआ है तथा संबंधित अनुभाग से सूचना संकलित कर प्रार्थी को उपलब्ध कराने का दायित्व लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ का है।

आवेदक द्वारा वांछित सूचनाएं, उसे आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 30 दिवस की निर्धारित अवधि के भीतर नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त कर उपलब्ध करवाई जाने का प्रावधान है। इसके लिये आवेदक द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन,


लोक सूचना अपीलार्थी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)



Am





A12

-3-

प्रकरण संख्या 59/2018 (सू.अ.)

श्री शान्तिलाल पिता स्व. चतुर्भुज दास बैरागी निवासी नरपत की खेड़ी बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अति. कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

संबंधित अधिकारी तक पहुंचाकर सूचना प्राप्त कर, आवेदक को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी लोक सूचना अधिकारी की बनती है। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कार्यालय हाजा से प्राप्त कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते हैं की वह प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कार्यालय हाजा से सूचना प्राप्त कर अपीलार्थी को 15 दिवस में निः शुल्क उपलब्ध करावें।



(इन्द्रजीत सिंह)

आई.ए.एस.

लोक सूचना अपीलार्थी अधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक:- 14 / 8 / 2018

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 59 / 2018 (सू.अ.) / 796
प्रतिलिपि:-

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री शान्तिलाल पिता स्व. चतुर्भुजदास बैरागी (वैष्णव) निवासी नरपत की खेड़ी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलार्थी अधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)